भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *273
(जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 19 अगस्त, 2025/28 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

बाजारी तिकड़मों के विरुद्ध सेबी द्वारा की गई कार्रवाई

***273 श्री कार्तिकेय शर्माः**
क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा बाजारी तिकड़मों, अनुचित हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग और एल्गोरिदम व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारतीय बाजारों में व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों को नियंत्रित करने वाले विनियमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री कार्तिकेय शर्मा, माननीय संसद सदस्य द्वारा "बाजारी तिकड़मों के विरुद्ध सेबी द्वारा की गई कार्रवाई" के संबंध में दिनांक 19.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *273 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 1 अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2025 की अवधि के दौरान सेबी (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 886 संस्थाओं के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की है।

(ख): भारतीय प्रतिभूति बाजार में विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश सेबी अधिनियम, 1992, सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियम, 2019 सहित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा विनियमित हैं।
